# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

**प्रकरण सं0 : 162/2018**

**अनवान :**

1. कुलदीप सिंह पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

**- वादी**

**बनाम**

1. जयकरण पि0मु0 रामजस जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राजेश कुमार पुत्र श्री जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. विनोद पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सुनीता पुत्री जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मलसीसर, जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**- प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**

**अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री रोहताश शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

**निर्णय** **दिनांक :** 19-6-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 27/27 के खसरा सं0 196 की 5.0080 है0 खाता सं0 288 की 3.5920 है0 खाता सं0 296 की 3.7050 है0 कुल खसरा सं0 3 की कुल 12.3050 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है एवं रोही जिगासरीछोटी के खाता सं0 32/34 के खसरा सं0 69/2 की 2.9340 है0, खसरा सं0 209 की 3.5160 है0 खसरा सं0 297/1 की 2.7820 है0 कुल 9.2320 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जयकरण के नाम से 510 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन में अपने दत्तक पिता से प्राप्त हुई है। उपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते उपर वर्णित कृषि भूमि अकेले प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। प्रतिवादीया सं0 4 सुनीता ने कृषि भूमि में जो भी हक हिस्सा बनता था, वह

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया। प्रतिवादीया सं0 4 सुनीता का वर्तमान में उक्त कृषि भूमि में कोई भी हक व हिस्सा निहित नहीं है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 4 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में कुलदीप सिंह पुत्र जयकरण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरी छोटी के खाता सं0 27/27, 32/34 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 1 व 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम जिगासरी छोटी सम्वत् 2048 – 51 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम जिगासरी प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन में अपने दत्तक पिता से प्राप्त हुई है। उपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम जिगासरी छोटी सम्वत् 2048 – 51 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है उनमें कृषि भूमि रामजस वल्द गोधुराम के नाम से दर्ज है एवं सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम जिगासरी प्रदर्श 4 से विरासतन व मुताबिक खोलानामा प्रतिवादी सं0 1 जयकरण के नाम दर्ज हुई है जिससे स्पष्ट है कि वादभूमि सहदायिकी सम्पति है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में जयकरण के वारिसान में पत्नि सावत्री, तीन पुत्र राजेश कुमार, कुलदीप सिंह, विनोद व एक पुत्री सुनिता होना व इनके अलावा कोई अन्य वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 27/27 के खसरा सं0 196 की 5.0080 है0 खाता सं0 288 की 3.5920 है0 खाता सं0 296 की 3.7050 है0 कुल खसरा सं0 3 की कुल 12.3050 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है एवं रोही जिगासरीछोटी के खाता सं0 32/34 के खसरा सं0 69/2 की 2.9340 है0, खसरा सं0 209 की 3.5160 है0 खसरा सं0 297/1 की 2.7820 है0 कुल 9.2320 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में से

प्रतिवादी सं0 1 जयकरण के नाम से 510 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयकरण के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने. वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पुर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

### पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

**प्रकरण सं0 : 162/2018**

**अनवान :**

1. कुलदीप सिंह पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

**- वादी**

**बनाम**

1. जयकरण पि0मु0 रामजस जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राजेश कुमार पुत्र श्री जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. विनोद पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सुनीता पुत्री जयकरण जाति जाट निवासी ग्राम जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मलसीसर, जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**- प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 27/27 के खसरा सं0 196 की 5.0080 है0 खाता सं0 288 की 3.5920 है0 खाता सं0 296 की 3.7050 है0 कुल खसरा सं0 3 की कुल 12.3050 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है एवं रोही जिगासरीछोटी के खाता सं0 32/34 के खसरा सं0 69/2 की 2.9340 है0, खसरा सं0 209 की 3.5160 है0 खसरा सं0 297/1 की 2.7820 है0 कुल 9.2320 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जयकरण के नाम से 510 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयकरण के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पुर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19-6-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़